

उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए आमन्त्रित रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) में संशोधन

कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 1975/टूल्स/मशीन पंजीकरण/2024-25 दिनांक 12.12.2024 द्वारा उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमन्त्रित की गयी है, जिसके Annexure-3 पंजीकरण (Empanelment) हेतु तकनीकी बिड के क्रम संख्या-2 पर अंकित विवरण में टंकण त्रुटि को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र. सं. | पूर्व में टंकण त्रुटिवश विवरण   | संशोधन उपरान्त विवरण  |
|----------|---|---|
| 2.       | प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण:-<br>ड्राफ्ट संख्या.....तिथि.....<br>धनराशि रू0 2360.00 .....<br>बैंक ड्राफ्ट रानीखेत अल्मोड़ा में देय हो..... | प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण:-<br>ड्राफ्ट संख्या.....तिथि.....<br>धनराशि रू0 2360.00 .....<br>बैंक ड्राफ्ट निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो ..... |

निदेशक, बागवानी मिशन,  
उत्तराखण्ड

उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए आमन्त्रित रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) में संशोधन

कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 1975/टूल्स/मशीन पंजीकरण/2024-25 दिनांक 12.12.2024 द्वारा उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमन्त्रित की गयी है, जिसके पृष्ठ संख्या 03 के क्रम संख्या 24 पर बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद अंकित विवरण में टंकण त्रुटि को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र. सं. | पूर्व में टंकण त्रुटिवश विवरण  | संशोधन उपरान्त विवरण   |
|----------|--|--|
| 24       | <p>1. पंजीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बन्धक हो तथा दिनांक 31.03.2026 तक वैध हो निम्न विवरणानुसार जमा करनी होगी:-</p> <p>i) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 8.65 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>ii) Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 11.25 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>iii) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) एवं Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) दोनों के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 19.90 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जमा करनी होगी।</p> | <p>1. पंजीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बन्धक हो तथा दिनांक 31.03.2027 तक वैध हो निम्न विवरणानुसार जमा करनी होगी:-</p> <p>i) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 8.65 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>ii) Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 11.25 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>iii) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) एवं Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) दोनों के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 19.90 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जमा करनी होगी।</p> |

निदेशक, बागवानी मिशन,  
उत्तराखण्ड